[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FISHERIES DEPARTMENT

Notification

The 29th January, 1999

No. G.S.R.76/Const./Art. 309/99.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Fisheries Department (Group D) Service, namely :--

PART-I-GENERAL

Short Title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Fisheries Department (Group D) Service Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires:--

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of Government of India or any State Government;

(b) "Director" means Director of Fisheries Haryana;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Fisheries Development Officer" means Fisheries Development Officer of Haryana;

(e) "Institution" means :-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution organised by the Government for the purpose in these rule;

(f) "Service" means Haryana Fisheries Department (Group D) Service.

PART-II-RECRUITMENT OF SERVICE

Number and character of posts :

The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:--

(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or
(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugees who came over to India before the Ist day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zuzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of

character from the Principal or Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible person, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age :

5. No persoh shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 16 years or more than 35 years of age, on or before the Ist day of the month next proceeding the last date of submission of application to the appointing authority.

Appointing Authority :

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Fisheries Development Officer.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix 'B' to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of appointing authority in case of sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification :

8. No person,--

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be liable for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the pesonal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

(a) In case of Daftri,--

(i) by promotion from amongst peon; or

(ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) In case of Peon,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India;

(c) In case of Field Assistant,--

(i) by promotion from amongst Fisherman, Watchman, Fisherman-cum-Watchman, Night Watchman, Boatman, Fisherman-cum-Mali; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

Note :--The post of Field Assistant involves the assumption of duties and responsibility of greater importance than those of Fisherman, Fisherman-cum-Chowkidar, Wathchman, Boatman, Night Watchman, Fisherman-cum-Mali.

(d) In case of Fisherman, Watchman, Fisherman-cum-Watchman, Night Watchman, Boatman, Fisherman-cum-Mali:--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in case of cleaner,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) in case of Sweeper-cum-Chowkidar, Sweeper,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to make promotions.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that:--

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period or probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation, fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may :

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment :--

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

3. On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may;

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory;

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory;

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, is appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and condition of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, *iner see* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadre in the Service, the seniority shall be determined separetely for each cadre :

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(a) a membere appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in case of a member appointed by promotion or by transfer, their seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :--

(i) a company, an association or a body of individuals whethers incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a

local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters :

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulation as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services, (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these rules;

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix 'D' to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any classs or category of persons.

Special provision :

18. Notwithstanding any thing contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if, it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backwared Classess, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and saving :

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Daftri	1	--	1	800-15-1010-EB-20-1150
2	Peon	8	20	28	750-12-870-EB-14-940
3	Field Assistant	21	2	23	750-12-870-EB-14-940
4	Fisherman	29	64	93	750-12-870-EB-14-940
5	Fisherman-cum-Watchman	--	35	35	750-12-870-EB-14-940
6	Watchman	--	23	23	750-12-870-EB--14-940
7	Boatman	--	1	1	750-12-870-EB-14-940
8	Night Watchman	--	2	2	750-12-870-EB-14-940
9	Fisherman-cum-Mali	--	2	2	750-12-870-EB-14-940
10	Cleaner	2	--	2	750-12-870-EB-14-940
11	Sweeper-cum-Chowkidar	4	11	15	750-12-870-EB-14-940+65/- S.P.
12	Sweeper	--	1	1	750-12-870-EB-14-940+65/- S.P.

APPENDIX B

(see rule 7)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Daftri	--	**By Promotion:** (i) Middle Pass; (ii) Ten years experience as Peon; (iii) Knowledge of Hindi upto Middle standard. **By Transfer or Deputation:** (i) Middle pass with fifteen years experience as Peon; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard.
2	Peon	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard.	**By Transfer or Deputation:** (i) Middle pass with five years experience as peon; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard.
3	Field Assistant	--	**By Promotion:** (i) Middle Pass; (ii) Five years experience as Fisherman, Watchman, Fisherman-cum-Watchman, Night Watchman, Boatman, Fisherman-cum-Mali. (iii) Knowledge of Swimming, Fish Catching, Net making, Casting of Net. (iv) Knowledge of Hindi upto Middle Standard.

1	2	3	4
			By Transfer or Deputation : (i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard. (iii) Ten years experience as Fisherman, Watchman, Fisherman-cum-Watchman, Boatman, Fisherman-cum-Mali, knowledge of Swimming, Fish Catching, Net making Casting of Net.
4	Fisherman	(i) Middle Pass. (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming Casting of Nets, Net making Technique of identification of fishes kind.	**By Transfer or Deputation:** (i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of Net, identification of fishes and technique.
5	Fisherman-cum-Watchman	(i) Middle pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Casting of Nets, Net making, Technique of identification of fishes kind.	**By Transfer or Deputation:** (i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of Net identification of fishes and technique.
6	Watchman	(i) Middle Pass;	**By Transfer or Deputation:** (i) Middle Pass;

1	2	3	4
		(ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Casting of Nets, Net making, Technique of identification of fishes kind.	(ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of Net, identification of fishes and technique. By Transfer or Deputation;
7	Boatman	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Casting of Nets, Net making, identification of fishes and technique; (iv) Knowledge of boating is essential.	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Casting of Nets, Net making, identification of fishes and technique; (iv) Knowledge of boating is essential. By Transfer or Deputation:
8	Night Watchman	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of Nets, Technique of identification of fishes kind.	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of Nets, identification of fishes and technique. By Transfer or Deputation:
9	Fisherman-cum Mali	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard; (iii) Knowledge of Swimming, Net making, Casting of

1	2	3	4
		Nets, Technique of identification of fishes kind. (iv) Knowledge of gardening.	Nets, identification of fishes and technique; (iv) Knowledge of gardening. **By Transfer or Deputation:**
10	Clearner	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard.	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard. (iii) Five years experience as Cleaner. **By Transfer or Deputation:**
11	Sweeper-cum-Chowkidar.	(i) 5th Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Primary Standard.	(i) 5th Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Primary Standard. **By Transfer or Deputation:**
12	Sweeper	(i) 5th Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Primary Standard.	(i) 5th Pass; (ii) Knowledge of Hindi upto Primary Standard.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
			Minor Penalties--			
1	Daftri	Fisheries Development Officer.	(i) Waring with a copy on the personal file (Character Roll);	Fisheries Development Officer	Director	Government
2	Peon		(ii) Censure;			
3	Field Assistant		(iii) withholding of promotion;			
4	Fisherman		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to Central Government or State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State.			
5	Fisherman-cum-Watchman					
6	Watchman					
7	Boatman					
8	Night Watchman					
9	Fisherman-cum-Mali					
10	Cleaner					
11	Sweeper-cum-Chowkidar					
12	Sweeper					

1	2	3	4	5	6	7
			(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect; **Major Penalties —** (vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government empooyee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinary be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with			

1	2	3	4	5	6	7
			or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (ix) compulsory retirement; (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Goverment.			

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Desgination of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6
1	Daftri	(i) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Fisheries Development Officer	Director	Government
2	Peon				
3	Field Assistant				
4	Fisherman				
5	Fisherman-cum-Watchman				
6	Watchman	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
	Boatman				
8	Night Watchman				
9	Fisherman-cum-Mali				
10	Cleaner				
11	Sweeper-cum-Chowkidar				
12	Sweeper				

L.M. GOYAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Fisheries Department.

हरियाणा सरकार

मत्स्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 1999

संख्या सा.का.नि. 76/संवि. अनु. 309/99.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मत्स्य विभाग (ग्रुप-घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-1—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) ये नियम हरियाण मत्स्य विभाग, (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 1999, कहे जा सकते हैं।

(ii) ये नियम राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ख) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, मत्स्य पालन विभाग हरियाणा;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय: है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) ''मत्स्य विकास अधिकारी'' से अभिप्राय: है, मत्स्य विकास अधिकारी, हरियाणा;

(ङ) ''संस्था'' से अभिप्राय: है;

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये, सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) ''सेवा'' से अभिप्राय: है, हरियाणा मत्स्य विभाग (ग्रुप घ) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

3. पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप में बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. सेवा में नियुक्त किए गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीकता, अधिवास तथा चरित्र :

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :-

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किसी नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. आयु :

कोई भी ऐसा व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से आगामी मास के प्रथम दिन को या उससे पहले 16 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. नियुक्ति प्राधिकारी :

सेवा में पदों पर नियुक्ति मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी।

7. योग्यताएं :

कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. अयोग्यताएं :

कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; सेवा में जिस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. भर्ती के ढंग :

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

(क) दफतरी की दशा में,

(i) सेवादारों में पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) सेवादारों की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) क्षेत्रीय सहायक की दशा में,—

(i) मछुआरा, चौकीदार, मछुआरा एवं चौकीदार, रात्रि चौकीदार, नाविक, मछुआरा एवं माली, में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पण :

क्षेत्रीय सहायक के पद के कर्तव्य मछुआरा, मछुआरा एवं चौकीदार, चौकीदार नाविक, रात्रि चौकीदार, मछुआरा एवं माली से अधिक उत्तरदायित्व के हैं।

(घ) मछुआरा, चौकीदार, मछुआरा एवं चौकीदार, रात्रि चौकीदार, नाविक, मछुआरा एवं माली की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) क्लीनर की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) मेहतर एवं चौकीदार, मेहतर की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. परिवीक्षा :

(1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अविध के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह:—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसे स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर परिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. ज्येष्ठता :

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न सवंर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता-क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरित द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; और

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन में रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. सेवा करने का दायित्व :

(1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए, दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि, निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण, राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायन्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा उसके बाद अपनाये या बनाये जाएं।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

(1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. टीका लगवाना :

सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुन: टीका लगवायेगा।

16. राजनिष्ठा की शपथ :

सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

17. ढील देने की शक्ति :

जहां राज्य सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

18. विशेष उपबन्ध :

इन नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. आरक्षण :

इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. निरसन तथा व्यावृति :

सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कारवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	01	-	01	800-15-1,010-द. रो.-20-1,150 रुपये
2	सेवादार	08	20	28	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
3	क्षेत्रीय सहायक	21	02	23	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
4	मछुआरा	29	64	93	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
5	मछुआरा एवं चौकीदार	-	35	35	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
6	चौकीदार	-	23	23	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
7	नाविक	-	01	01	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
8	रात्रि चौकीदार	-	02	02	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
9	मछुआरा एवं माली	-	02	02	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
10	क्लीनर	02	-	02	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये
11	मेहतर एवं चौकीदार	04	11	15	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये+65 रुपये विशेष वेतन।
12	मेहतर	01	-	01	750-12-870-द. रो.-14-940 रुपये+65 रुपये विशेष वेतन।

परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	दफ्तरी	-	पदोन्नति द्वारा— (i) मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में दस वर्ष का अनुभव ; (iii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में पंद्रह वर्ष का अनुभव ; (iii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2	सेवादार	(i) मिडिल पास (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (i) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3	क्षेत्रीय सहायक	-	पदोन्नति द्वारा— (i) मिडिल पास ; (ii) मछुआरा, चौकीदार, मछुआरा एवं चौकीदार, रात्रि चौकीदार, नाविक, मछुआरा एवं माली के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; (iii) तैरने, मछली पकड़ने, जाल बुनने तथा जाल फैंकने का पर्याप्त ज्ञान ; (iv) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) मछुआरा, चौकीदार, मछुआरा एवं चौकीदार रात्रि चौकीदार, नाविक, मछुआरा एवं माली के रूप में दस वर्ष का अनुभव ; तैरने, जाल बुनने तथा जाल फैंकने का ज्ञान।

1	2	3	4	5	6
4	मछुआरा		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	
5	मछुआरा एवं चौकीदार		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	
6	चौकीदार		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी।	
7	नाविक		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी ; (iv) किश्ती चलाने का ज्ञान जरुरी।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी। (iv) किश्ती चलाने का ज्ञान जरुरी।	
8	रात्रि चौकीदार		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी ;	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी ;	
9	मछुआरा एवं माली		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ;	

1	2	3	4	5	6
			(iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान; विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी ; (iv) बागवानी का ज्ञान।	(ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) तैरने, जाल बुनने, जाल फैंकने का ज्ञान व विभिन्न किस्मों की मछलियों की पहचान तथा इनकी तकनीकी ; (iv) बागवानी का ज्ञान।	
10	क्लीनर		(i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) मिडिल पास ; (ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) क्लीनर के रुप में पांच वर्ष का अनुभव।	
11	मेहतर एवं चौकीदार		(i) पांचवीं पास ; (ii) प्राईमरी स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) पांचवीं पास ; (ii) प्राईमरी स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	
12	मेहतर		(i) पांचवीं पास ; (ii) प्राईमरी स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) पांचवीं पास ; (ii) प्राईमरी स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	वित्तीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
			(1) छोटी शास्तियां :			
1	दफ्तरी	मत्स्य विकास अधिकारी	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण-पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	मतत्य विकास अधिकारी	निदेशक	सरकार
2	सेवादार		(ii) परिनिन्दा;			
3	क्षेत्रीय सहायक		(iii) पदोन्नति रोकना;			
4	मछुआरा		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है; या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली;			
5	मछुआरा एवं चौकीदार					
6	चौकीदार					
7	नाविक					
8	रात्रि चौकीदार					
9	मछुआरा एवं माली					
10	क्लीनर					
11	मेहतर एवं चौकीदार					
12	मेहतर					
			(v) संचयी प्रभाव के विना वेतन वृद्वियां रोकना;			
			(2) बड़ी शास्तियां :			
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;			
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की			

1	2	3	4	5	6	7
			अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां, स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए असाधारणत: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्स्हता नहीं होगी;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पद नाम	शास्ति का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	वित्तीय तथा अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	मत्स्य विकास अधिकारी।	निदेशक	सरकार
2	सेवादार				
3	क्षेत्रीय सहायक				
4	मछुआरा				
5	मछुआरा एवं चौकीदार	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
6	चौकीदार				
7	नाविक				
8	रात्रि चौकीदार				
9	मछुआरा एवं माली				
10	क्लीनर				
11	मेहतर एवं चौकीदार				
12	मेहतर				

एल० एम० गोयल,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।